रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 22, 2016/चैत्र 2, 1938

No. 722] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 22, 2016/CHAITRA 2, 1938

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(भेषज विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

का.आ. 1192(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भेषज विभाग द्वारा जारी औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 1221(अ) तारीख 15 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 में पैरा 11, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(3) उप-पैरा (1) और उप-पैरा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसे इंजेक्शनों या अंत:श्वसन और अन्य औषधियों की दशा में, जिनके लिए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 की अनुसूची 1 में मात्रा या खुराक या दोनों विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं, सरकार, भारतीय भेषज या अन्य मानकों को, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन समान विनिर्मितियों के लिए अन्य मानकों के अनुरूप हैं, यथास्थिति, यूनिट मात्रा में तरल, गैसीय या किसी अन्य प्ररूप में पैकेजिंग या पैक आकार या मात्रा अनुपालना पर विचार करते हुए विनिर्दिष्ट चिकित्सीय विवेक को ध्यान में रखते हुए, ऐसी विनिर्मितियों के लिए पृथक् अधिकतम कीमत या खुदरा मूल्य को नियत और अधिसूचित कर सकेगी ।